

## हृदल-तुरशरररत कृषेतुर में डरररतीड डहुँक

### संदरुड

हृदल-तुरशररत कृषेतुर हरल के वरुषों में डू-रररनेतकी रूड से वरुशिव की वडररनेन शकृतररररों के डधुड कूटनेतरर एवं संघररुष कर नडर डनूड डनूड डुकर है। सरथ ही डड कृषेतुर अडनेी अवसुथतरररर के करररर डडतुतवडूरूण हुु डरर है। वरुतडरन में वरुशिव वुडररडर के 75 डुरतरशरत वसुतुओं कर आडरत-नररररत इरसी कृषेतुर से हुुतु है तथर हृदल-तुरशररत कृषेतुर से डुडे हुुड डंदररगरह वरुशिव के सरवरधकी वुडसुत डंदररगरहों में शररडररर है। वरुशिव GDP के 60 डुरतरशरत कर डुुगडरन इरसी कृषेतुर से हुुतु है। डड कृषेतुर ऊररर वुडररडर (डेटूरुुलडरड उतुडरड) कुु लेकर उडडुुकृतर और उतुडरडक डुुनों ररषुटूरुुओं के लडर डंडेडनशील डनर ररहतर है।

कीन की सी डनेनडरग सरकर इरस कृषेतुर अडनेी नेतडरररों कुु वैशुवकी आडरड डेने कर डुरररड कर ररही है, वन डेलुट वन रुुड नेतडरर (Belt & Road Initiative) कीन की की इरसी वुडररडक रूणनेतडरर कर हसुसर है। डररहें अक और BRI नेतडरर के अक डुरडुख घकक के रूड में कीन के लडर हृदल-तुरशररत कृषेतुर कर डडतुतव है, तुु वरही डूसरी और अडेरकी (USA) ने डी हृदल-तुरशररत कृषेतुर कुु लेकर अडनेी रूणनेतडरर में डडलरर कडरर है। अडेरकी इरस कृषेतुर में अडनेी डुरडरव डडरनर डरहतर है, तरकी वरह कीन के डुरसरर कुु डक कर सके और अडेरकी हतुुओं कुु सरध सके। अडेरकी और कीन के सरथ ही डररत, डररडरन, आसडरन (ASEAN) तथर डूरूस डी अडनेी डूडकी इरस कृषेतुर में डडरने डर डल डे ररहे है। वडररनेन ररषुटूरुुओं की नेतडरररों ने इरस कृषेतुर कुु वरुशिव रररनेतडरर के डटल डर लर डडरर है।

### कुडर है हृदल-तुरशररत (Indo-Pacific) कृषेतुर ?

डैसर कनेडर से ही सुडरुषुट है हृदल (Indo) डरनेी हृदल डडरसररर (Indian Ocean) और डुरशररत (Pacific) डरनेी डुरशररत डडरसररर के कुूछ डरगुुओं कुु डलरकर डुु डडुडर कर अक हसुसर डननर है, उसे हृदल-तुरशररत कृषेतुर (Indo-Pacific Area) कडरते है। वरुशल हृदल डडरसररर और डुरशररत डडरसररर के सीधे डलगररूण कृषेतुर में डडने वरले डेशुुओं कुु 'इंडुु-डैसडरक डेश' कडर डर सकतर है। डूरुवी अडूरुकी तड, हृदल डडरसररर तथर डरशुडरररी एवं डधुड डुरशररत डडरसररर डलरकर हृदल-तुरशररत कृषेतुर डनरते है।

पछिले कुछ वर्षों में समुद्री सुरक्षा और सहयोग का महत्त्व बढ़ा है, विभिन्न देशों के संयुक्त वक्तव्य एवं संगठनों के घोषणा-पत्रों में समुद्री समझौतों को लेकर उच्च प्राथमिकता देखी जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में चीन ने अपनी नीति में बदलाव किया है, चीन एक समान और समतापूर्ण विश्व व्यवस्था पर जोर दे रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट (US Indo-Pacific Strategy Report) जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, में साझेदारी पर बल देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन की नीतियों की आलोचना करते हुए उसको प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माना है, साथ ही इस रिपोर्ट में 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय आर्डर' (Rules-based International Order) तथा 'फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) क्षेत्र की वकालत की गई है।

## हृदि-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति

पछिले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिये अलगाव की स्थिति थी। लेकिन अब हृदि-प्रशांत क्षेत्र के लिये भारत की नीति भारतीय सामुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है। सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही इस रणनीतिको मूर्तरूप देने के लिये सागरमाला परियोजना पर कार्य कर रहा है, ताकि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को सुदृढ़ करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। इस तरह भारत न सिर्फ हृदि-प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को साध सकेगा बल्कि बलू इकॉनमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। बलू इकॉनमी पर बल देने तथा हृदि-प्रशांत क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए ही नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण में बमिस्टेक (BIMSTEC) देशों को आमंत्रित किया, इतना ही नहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिये मालदीव और श्रीलंका चुना। कुछ वर्षों में भारत द्वारा हृदि-प्रशांत क्षेत्र को लेकर किये गए प्रयास इस क्षेत्र के संबंध में भारत की बदलती नीतिको प्रदर्शित करते हैं तथा इस क्षेत्र के महत्त्व को भी इंगित करते हैं।

भारत के उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद कुछ ऐसे कदम हैं जिनको उठाया जाना आवश्यक है-

**प्रथम**, इस क्षेत्र में भारत को और अधिक सक्रिय रूप से समुद्री हितों को लेकर नीतिको गति देने की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र में वकिसति हो रहे नैरेटिव में वह प्रमुख भूमिका निभा सके। अतः भारत को सागर (SAGAR) पहल पर बल देना होगा और इसके लिये एक ऐसे ढाँचे का निर्माण करना होगा जिससे उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। भारत द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों के माध्यम से हृदि-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थितिको मजबूत कर सकता है और इसके लिये भारत को सागरमाला परियोजना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह परियोजना अवसंरचना को तटीय भागों में सुदृढ़ करेगी जिससे वनिरिमाण, व्यापार तथा पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

**द्वितीय**, विश्व के लगभग सभी देश समुद्र में स्वतंत्र नौ-परविहन को लेकर एक मत हैं लेकिन विभिन्न देशों में नौ-परविहन की स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसका कारण कई देशों के कानूनों का अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून (International Maritime Law-IML) से भिन्न होना है। इस विषय पर भारत अन्य देशों के मध्य मतभेदों को समाप्त करने और एक नशिचति परिभाषा पर सहमत होने के लिये नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। भारत का IML का के पालन करने का रिकॉर्ड और समुद्री शक्तिके रूप में इसकी विश्वसनीयता, इसे इस तरह के प्रयास का नेतृत्व करने के लिये एक आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं।

**तृतीय**, भारत को चाहिये कविह हृदि-प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुँच में वृद्धि करे। परिचालन द्वारा भारत अपनी उपस्थितिको इस क्षेत्र में मजबूती से दर्ज करा सकता है। यह इस क्षेत्र में भारत के दीर्घकालीन हितों की पूर्त करेगा, साथ ही इस क्षेत्र की स्थिरता को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में भारत के जापान जैसे सहयोगी पहले से ही मौजूद हैं, जो भारत को आवश्यकता के समय लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं।

**चतुर्थ**, सागरमाला परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं को भी आरंभ किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बंदरगाहों के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, तटों के करीब रहने वाले लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, नविश तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नई नौकरियों के सृजन पर ध्यान दिया जा सकता है। इन परियोजनाओं को लागू करते समय इनके प्रभावों और अवधिका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये, ताकि नशिचति समय में परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य मत्ति राष्ट्रों के साथ मलिकर क्षमता निर्माण एवं अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

**पंचम**, सरकार को हृदि-प्रशांत क्षेत्र को समर्पित एक अध्ययन केंद्र के निर्माण की संभावना पर भी विचार करना चाहिये। यदि संभव हो तो ऐसे केंद्र की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप में हो सकती है जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिये। ऐसे केंद्र के निर्माण के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग किया जा सकता है जो संसाधन के साथ-साथ विशेषज्ञता के संदर्भ में भी उपयोगी होगा।

## नषिकर्ष

हाल के वर्षों में हृदि-प्रशांत क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्रबिंदु बनकर उभरा है। आर्थिक महत्ता की वृद्धि ने इस क्षेत्र को भू-राजनीतिके मंच पर ला दिया है। इसी आधार पर विभिन्न राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिये इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के हितों की दृष्टिसे आवश्यक है कि भारत भी हृदि-प्रशांत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। आर्थिक रूप से मजबूत कति वनिम् (benign) राष्ट्र की छवि भारत के लिये सहयोगी बनाने में प्रायः सहायक ही है, इन सहयोगियों के साथ चलकर भारत इस क्षेत्र में मजबूत स्थितिको प्राप्त कर सकता है तथा चीन की प्रसार की नीतिके बावजूद अपने हितों को पूरा करने में सफल हो सकता है।

## सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project)

सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत 25 मार्च, 2015 को की गई थी। इसे भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है। भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्रों, 14,500 किलोमीटर संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के

रणनीतिक स्थानों के दोहन के उद्देश्य से सरकार ने महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम तैयार किया है।

## नीली अर्थव्यवस्था ( Blue Economy)

नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सागरों अथवा महासागरों से जुड़ी हो। यदि महासागर क्षेत्र में भारत रणनीतिक स्थान पर है और वह अपने सतत समावेशी और जन केंद्रित रूप में नीली अर्थव्यवस्था के विकास को स्वीकृत देता है। भारत द्वारा अपनी महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 600 से अधिक परियोजनाएँ चिह्नित की गई हैं और इनमें वर्ष 2020 तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए (120 बिलियन डॉलर) के निवेश का प्रावधान है। भारत अपने मैरीटाइम ढाँचे के साथ-साथ अंतरदेशीय जलमार्गों तथा महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से तटीय जहाज़रानी (Coastal Shipment) को विकसित कर रहा है।

## नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश

### (Rules Based International Order)

नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश को आमतौर पर सभी देशों द्वारा साझा नियमों के अनुसार अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिये प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो समय के साथ विकसित होते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार समझौते, आवरण प्रोटोकॉल और सांस्कृतिक आयोजन।

**प्रश्न-** यदि-पश्चात क्षेत्र की राजनीति में हाल के वर्षों में व्यापक बदलाव प्रदर्शित हुए हैं इन बदलावों का भारत के संदर्भ में क्या नहितार्थ है, साथ ही यह भी बताइये कि किस प्रकार भारत इस क्षेत्र में अपनी पहुँच में वस्तुतः कर सकता है ?

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/iindia-must-play-a-key-role-in-claiming-the-indo-pecificregion>

